कार्यालय ग्राम पंचायत, फांचा (15/20)
विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)
(पिछड़ा क्षेत्र)

प्रतिलिपि प्रस्ताव संख्या......3.........जो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा की बैठक में दिनांक...1-7-2012......
को....95/250.....सदस्यों की उपस्थिति में प्रधान.....सत्या प्रकाश नेगी.....
की अध्यक्षता में पारित किया गया।

क्रमांक......................   दिनांक......................

विषय :- विमला हाइड्रो पावर प्राईवेट लि० (अपर कुर्मी) को अनापाति प्रमाण देने बारे।

आज की ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि विमला हाईड्रो पावर प्राईवेट ली० (अपर कुर्मी) में उपरोक्त कम्पनी द्वारा प्रोजेक्ट बनना सम्भावित है। इस बिषय में ग्राम सभा में विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित शर्तों के आधार पर कम्पनी को अनापाति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के रूप में जारी किया जाता है। जहाँ क्षेत्र में प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य होना है वहा के स्थानीय लोगों ने लिखित रूप से कम्पनी को निम्नलिखित मांगो पर अनापाति प्रमाण पत्र देने की बात पर चर्चा की है।

शर्तें निम्न प्रकार से है।

1. कम्पनी स्थानीय बेरोजगार युवक/युवतियों को निर्माण कार्य में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर व तकनिकी योग्यतानुसार रोजगार देगी
2. कम्पनी जहा से भी सड़क निर्माण करेगी जहा पर भी लोगो की निजी भूमी आएगी लोगों को उचित मुआवजा अदा करेगी।
3. ग्राम सभा में चर्चानुसार कम्पनी मन्दिर कमेटी के साथ बैठक का आयोजन करेगी। जो भी मन्दिर कमेटी की जायज मांग होगी कम्पनी को मान्य होगी।
4. पर्यावरण की समस्या को देखते हुए कम्पनी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य करेगी। जिसमें पेड़-पौधो का विनाश न हो।
5. प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में यादि किसी लोगो के मकान जमीन को नुकसान होगा कम्पनी भरपाई करेगी।
6. क्षेत्र में पड़ने वाले स्कूल पक्के रास्ते आदि कम्पनी पंचायत की मांग अनुसार राशी उपलब्ध कराएगी।
7. कम्पनी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य सरकार के दिशा निर्देश जिसकी विभाग से सम्बन्धित हो कार्य करेगी।

नकल मुताबिक असल के दरुस्त है

प्रधान
ग्राम पंचायत, फांचा (15/20)
विकास खण्ड रामपुर,
जिला शिमला (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत, फांचा 15/20
विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)